रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032024-252841
CG-DL-E-11032024-252841

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945
No. 158] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

सा.का.नि. 170(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) संशोधन नियम, 2024 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) नियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अध्याय -VI में, नियम 22क. के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"22ख. नियम 3 में उप-नियम (3) के परंतुक की मद (क) से (ङ) {मद (च) और (छ) से भिन्न} के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों को चालू करना -

(1) मदों के लिए:

(क) ऊपरी पैदल पुलों और ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण, पुनर्निर्माण, उपांतरण और मजबूत करना;

(ख) छोटे पुलों का निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनः गर्डर लगाना और मजबूत करना;

(ग) छोटे पुलों से भिन्न सभी विद्यमान पुलों पर पुन: गर्डर लगाना और मजबूत करना;

(घ) चौकीदार युक्त क्रॉसिंग को हटाना; और

(ङ) समपार को अपग्रेड करना और समपारों पर सड़क का पथांतरण,

क्षेत्रीय रेलवे का प्रधान मुख्य इंजीनियर, बिना किसी पूर्व सूचना के और निरीक्षण करके या बिना निरीक्षण किए, यदि उसका समाधान हो जाता है, यात्री यातायात के लिए उक्त छोटा निर्माण कार्य चालू करने की मंजूरी अनुदत्त कर सकेगा:

परंतु कि इस नियम के अधीन क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर द्वारा प्रयोग की जा रही शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जाना चाहिए:

परंतु यह और कि निरीक्षण के बिना चालू किए गए निर्माण कार्यों का साधारणत: यथासंभव शीघ्र तारीख को निरीक्षण किया जाना चाहिए, क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर पश्चात्वर्ती निरीक्षण करने की आवश्यकता के लिए अपने विवेक का उपयोग करेगा:

परंतु यह भी कि उक्त छोटा निर्माण कार्य के चालू कराने के प्राधिकार के संबंध में क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर द्वारा संबंधित रेलवे प्रशासन को लिखित में संसूचित किया जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे मंजूरी प्रदान किए गये सभी निर्माण कार्यों का अभिलेख, यदि बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत पूर्व या पश्चात्वर्ती निरीक्षण की विशिष्टियां भी है, क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर द्वारा रखा जाएगा।

(2) समपारों के अंतर्पाशन संबंधी निर्माण कार्यों को चालू करने की मंजूरी अनुदत्त करने के लिए, आगे बिना किसी और को प्रत्यायोजित किए, सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर होंगे।

(3) मदों के लिए:

(क) यार्ड का पुन: प्रतिरूपण किए बिना पार्श्वस्थ स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों के साथ दोहरी दूरी संकेतक प्रणाली की पुर:स्थापना करना;

(ख) यार्ड का पुन: प्रतिरूपण किए बिना पार्श्वस्थ स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों के साथ, स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्डों के सिवाय, नई मध्यवर्ती खंड संकेतक प्रणाली की पुर:स्थापना करना; और

(ग) यार्ड का पुन: प्रतिरूपण किए बिना पार्श्वस्थ स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों के साथ, स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्डों के सिवाय, नई स्वचालित खंड संकेतक प्रणाली की पुर:स्थापना करना,

कार्य चालू करने संबंधी मंजूरी अनुदत्त करने के लिए, आगे बिना किसी और को प्रत्यायोजित किए, सक्षम प्राधिकारी क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक होंगे:

परंतु कि क्षेत्रीय रेलवे के यथास्थिति महाप्रबंधक या प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, निरीक्षण करके या निरीक्षण किए बिना, उसका समाधान हो जाता है, तो इस नियम के अधीन, यात्री यातायात के लिए कार्यों को चालू करने की स्वीकृति अनुदत्त कर सकेंगे और निरीक्षण किये बिना चालू किए गए कार्यों का सामान्यतया यथासंभव शीघ्र निरीक्षण कर लेना चाहिये किंतु छोटे किस्म के कार्यों के मामले में क्षेत्रीय रेलवे के यथास्थिति

महाप्रबंधक या प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, अपने विवेकानुसार पश्चात्वर्ती निरीक्षण करने की आवश्यकता निर्धारित करेंगे।";

(3) उक्त नियमों के अध्याय - VII में, नियम 25क. के उप-नियम (1) में,–

(क) मद (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:-

"बिना किसी पूर्व सूचना के और निरीक्षण करके या बिना निरीक्षण किए, यदि उसका समाधान हो जाता है, तो यात्री यातायात के लिए उक्त छोटा निर्माण कार्य चालू करने की मंजूरी क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर अनुदत्त कर सकेगा:

परंतु कि इस नियम के अधीन क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर द्वारा प्रयोग की जा रही शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जाना चाहिए:

परंतु यह और कि निरीक्षण के बिना चालू किए गए निर्माण कार्यों का साधारणत: यथासंभव शीघ्र निरीक्षण किया जाएगा, क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर पश्चात्वर्ती निरीक्षण करने की आवश्यकता के लिए अपने विवेक का उपयोग करेगा:

परंतु यह भी कि उक्त छोटे निर्माण कार्य के चालू कराने के प्राधिकार के संबंध में क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर द्वारा संबंधित रेलवे प्रशासन को लिखित में संसूचित किया जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे मंजूरी प्रदान किए गये निर्माण कार्यों का अभिलेख क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर द्वारा रखा जाएगा जिसमें पूर्व या पश्चात्वर्ती निरीक्षणों की विशिष्टियां भी होंगी।";

(ख) टिप्पण का लोप किया जायेगा।

[फा. सं. 70/डब्ल्यू डी ओ/ओ आर आई/आर ओ/1/वॉल्यूम.IX]

अजीत कुमार झा, कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरिंग (सामान्य)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. संख्या 625(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और अंतिम बार सा.का.नि. संख्या 633(अ), 29 अगस्त, 2023 के द्वारा संशोधित किए गये थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

G.S.R. 170(E).— In exercise of the powers conferred by section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Rules, 2000, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Rules, 2000 (herein after referred to as the said rules), in Chapter VI, after rule 22A, the following rule shall be inserted, namely:-

"22B. **Opening of works specified under items (a) to (e) to proviso {other than items (f) and (g)} of sub-rule (3) of rule 3,-**

(1) For items,-

(a) construction, rebuilding, modification and strengthening of foot-over-bridges and road-over-bridges;

(b) construction, rebuilding, regirdering and strengthening of minor bridges;

(c) regirdering and strengthening of all existing bridges, other than minor bridges;

(d) elimination of manned level crossing; and

(e) upgradation of level crossing and diversion of roads at level crossings,

the Principal Chief Engineer of zonal railway, may without previous notice, sanction the opening of said minor works for passenger traffic, if he is satisfied, either with or without inspection:

Provided that the power being exercised by the Principal Chief Engineer of zonal railway under this rule should not be delegated:

Provided further that the works so opened without inspection, should ordinarily be inspected at the earliest possible date, the Principal Chief Engineer of zonal railway shall exercise his discretion as to the necessity of carrying out a subsequent inspection:

Provided also that the authority for opening said minor works shall be communicated in writing by the Principal Chief Engineer of zonal railway to the concerned railway administration and a record of all works so sanctioned during each year, with particulars of the prior or subsequent inspection, if made, shall be maintained by the Principal Chief Engineer of zonal railway.

(2) For interlocking of level crossing, the competent authority to grant sanction to open works shall be the Principal Chief Signal and Telecommunication Engineer of zonal railway, with no further delegation.

(3) For items,-

(a) introduction of Double Distant Signalling alongwith corresponding changes at adjacent stations without yard remodelling;

(b) introduction of new Intermediate Block Signalling, except in section with Slip Siding and Catch Siding, alongwith corresponding changes at adjacent stations without yard remodelling; and

(c) introduction of new Automatic Block Signalling, except in section with Slip Siding and Catch Siding, alongwith corresponding changes at adjacent stations without yard remodeling,

the Competent Authority to grant sanction to open works shall be the General Manager of zonal railway, with no further delegation:

Provided that the General Manager or Principal Chief Signal and Telecommunication Engineer of the zonal railway, as the case may be, may sanction the opening of works for passenger traffic under this rule, if he is satisfied, either with or without inspection and works so opened without inspection, should ordinarily be inspected at the earliest possible date, but in case of works of a minor types, the General Manager or Principal Chief Signal and Telecommunication Engineer of Zonal Railway, as the case may be, shall exercise his discretion as to the necessity of carrying out a subsequent inspection.";

(3) In chapter VII of the said rules, in rule 25A, in sub-rule (1),–

(i) for the longline, occurring after item (e), the following longline shall be substituted, namely:-

"the Principal Chief Engineer of zonal railway, may without previous notice, sanction the opening of said minor works for passenger traffic, if he is satisfied, either with or without inspection:

Provided that the power being exercised by the Principal Chief Engineer of zonal railway under this rule should not be delegated:

Provided further that the works so opened without inspection, should ordinarily be inspected at the earliest possible date, the Principal Chief Engineer of zonal railway shall exercise his discretion as to the necessity of carrying out a subsequent inspection:

Provided also that the authority for opening said minor works shall be communicated in writing by the Principal Chief Engineer of zonal railway to the concerned railway administration and a record of all works so sanctioned during each year, with particulars of the prior or subsequent inspection, if made, shall be maintained by the Principal Chief Engineer of zonal railway.";

(ii) the Note shall be omitted.

[F. No. 70/WDO/ORI/RO/1/Vol. IX]

AJIT KUMAR JHA, Executive Director Civil Engineering (General)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 625(E), dated the 21st July, 2000 and was last amended *vide* number G.S.R. 633(E), dated the 29th August, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.11 20:37:01 +05'30'